संख्या-32/2024/70/41-1-2024/001-C.N.1352981-94-Budget-2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2024

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्ष के अन्तर्गत 19-विज्ञापन मद में विभाग के प्रचार-प्रसार हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के सापेक्ष बजट की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-I/26802/2023, दिनांक 07.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार-19-विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय मद में अनुपूरक मांग के अन्तर्गत प्राविधानित रू0 3800.00 लाख के अनुपूरक बजट के सापेक्ष रू0 3800.00 लाख की धनराशि को निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित गतिविधियों के आयोजन हेतु पूर्व में 19-विज्ञापन मद में शासनादेश सं0-435/2023/आई/320612/001-41-1002-001-1-2021-94-बजट-2018, दिनांक 23.05.2023 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 600.00 लाख तथा शासनादेश सं0-813/2023/5194/001-सीएन 1605257-94- बजट- 2018, दिनांक 03-11-2023 द्वारा रू0 600.00 लाख, अर्थात अब तक कुल धनराशि रू0 1200.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार-19-विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय मद में अनुपूरक मांग के माध्यम से करायी गयी बजट व्यवस्था रू0 3800.00 लाख (रू0 अड़तीस करोड़ मात्र) को श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) विभाग में प्रचार-प्रसार कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 23.05.2023 तथा दिनांक 03.11.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करा लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-3227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृति धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 38,00,00,000 (रुपये अड़तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार मानक मद-19 विज्ञापन एवं विख्यापन अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।